संख्या-38/2022/2252879/2022/श्रम-2

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 02 दिसम्बर, 2022**

विषय- 'निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' के प्रस्तर-5 (देय हितलाभ का विवरण) में संशोधन पर अनापत्ति-संदर्भ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4817/भ0नि0बो0(86बी)-2022, दिनांक 03-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ''निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना'' के अन्तर्गत अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में अन्त्येष्टि हितलाभ दिये जाने के संबंध में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 55वीं बैठक दिनांक 18-10-2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-14.3 पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि व्यय हेतु रूपये 25,000/- का एकमुश्त हितलाभ दिये जाने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है। तदक्रम में उक्त संशोधन पर अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु उक्त योजना के प्रस्तर-5 की वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया है :-

प्रस्तर-05 का प्रस्तावित संशोधन	मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3	4
देय हितलाभ का विवरण	अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर	रू 1,00,000/- (रू0 एक लाख) एक मुश्त।	रू 1,00,000/- (रू0 एक लाख) एवं अन्त्येष्टि हेतु रू0 25,000/- (रू0 पच्चीस हजार)। कुल रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु		1,25,000/- (रू0 एक लाख पच्चीस हजार) एकमुश्त।
देय हितलाभ के भुगतान की प्रक्रिया (बिन्दु संख्या-III)	की स्थिति में।	अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 01 लाख की स्वीकृति की जायेगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा, उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।	अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 1,25,000/- (रू0 एक लाख पच्चीस हजार) की स्वीकृति की जायेगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा, उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।

3- 'निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' में उपर्युक्तानुसार संशोधन प्रस्ताव पर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है। अत: बोर्ड द्वारा संचालित 'निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' के अन्तर्गत प्रस्तर-5 देय हितलाभ का विवरण, में संशोधन के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति दी जाती है कि बोर्ड उक्त योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा संगत नियमावली-2009 का अनुपालन पात्र 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण' श्रमिकों के हित में पूर्णत: सुनिश्चित करेगा तथा तदनुसार इस संबंध में शासन द्वारा वर्तमान/भविष्य में कोई वित्तीय/आर्थिक मदद नहीं दी जायेगी।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-38/2022/2252879(1)/2022/श्रम-2, तददिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

दिलीप कुमार शुक्ल
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in